

## न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट आई.ए.एस.

प्रकरण सं.-11/2016

पंजियन दि.11.08.2016

निर्णय दि. 14.03.2018

श्री कचरा पिता धुला चमार, निवासी चुण्डावाडा तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

—प्रार्थी/अपीलार्थी

### बनाम

1. श्री अमरा पिता काला भील, निवासी दरियापाडा लाम्बाभाटडा तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्री अमरी पत्नी अमरा भील, निवासी दरियापाडा लाम्बाभाटडा तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. श्री सरकार जरिये भूमिधारी, तहसीलदार बिछीवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि आवंटन नियम 1970) की

धारा 14(4) के अंतर्गत

- उपस्थित :-
1. श्री हितेन्द्र पटेल एवं नवीन चौबीसा, वकील प्रार्थी
  2. श्री सुन्दरलाल परमार, वकील विपक्षी सं. 1 व 2
  3. पेशेकार सरकार

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा जरिये मीसल नम्बर 23/2016 दिनांक 14.05.2016 के द्वारा विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम मौजा चक चुण्डावाडा के खसरा नं. 226 में से 0.16 हेक्टेयर आवंटित भूमि के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970) की धारा 14(4) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए इसे निरस्त कराने प्रार्थना की है।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण है कि प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 व 2 ग्राम चुण्डावाडा व दरियापाडा लाम्बाभाटडा के निवासी है। प्रार्थी का मौजा चक चुण्डावाडा के खसरा संख्या 226 रकबा 0.47 के हेक्टेयर पर विगत करीब 40 वर्षों से कब्जा काशत है, जिसका रेकार्ड में भी अंकन है। किन्तु बगैर कब्जे एवं रेकार्ड की जानकारी लिये तथा राजनैतिक प्रभाव के कारण इसमें से रकबा 0.16 हेक्टेयर विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम अवैधानिकरूपेण आवंटित कर दी है। आवंटन से पूर्व उक्त भूमि बाबत पटवारी हल्का की रिपोर्ट तलब नहीं की गई है एवं विपक्षी को बिना कब्जे के केवल भूमि बिलानाम होने के आधार पर आवंटन किया गया है, जो



2

अवैध है। विपक्षीगण सं. 1 व 2 आवंटीगण द्वारा आज दिन तक काशत नहीं की गई है तथा आवंटन शर्तों की पालना भी नहीं की गई है, जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण सं. 1 व 2 की ओर से वकील नियुक्ति किये एवं विपक्षी सं. 3 की ओर से परोकार सरकार उपस्थित हुए।

प्रकरण में प्रार्थी एवं विपक्षीगण के वकील की बहस समायत की गई। दौराने बहस प्रार्थी के योग्य वकील ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण से संबंधित भूमि पर प्रार्थी का पुराना काशत कब्जा है जिससे मौके की स्थिति को स्पष्ट करने हेतु मौका रिपोर्ट तलब की जावे। विपक्षीगण के उपस्थित वकील द्वारा मौका रिपोर्ट तलब करने में आपत्ति नहीं होना जाहीर किया। न्यायहित में प्रार्थी के वकील के अनुरोध को स्वीकार करते हुए तहसीलदार बिछीवाड़ा से विवादित भूमि बाबत् मौका रिपोर्ट तलब की गई जो प्राप्त हो पत्रावली में संलग्न है।

तहसीलदार बिछीवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 220 दिनांक 06.03.2018 के क्रम में प्रार्थी की ओर से उपस्थित वकील द्वारा आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में प्रार्थी के वकील की प्रार्थना पत्र ही विवादित भूमि के मौके की रिपोर्ट तलब की गई थी, जिस पर अब आपत्ति करने का कोई औचित्य नहीं रहता है, जिससे प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है तथा पक्षकारों के उपस्थित वकील एवं परोकार को मेरीट पर सूना गया।

प्रार्थी के उपस्थित योग्य वकील ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही पुनः दोहराते हुए आवंटित भूमि पर उनका पुराना कब्जा काशत होने से आवंटन निरस्त कराने बाबत् कथन किया गया। प्रार्थी के योग्य वकील द्वारा अपने पुराने कब्जे के संबंध में किसी प्रकार की साक्ष्य अथवा दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये तथा मात्र मौखिक कथनों को कब्जे का आधार नहीं माना जा सकता है। प्रार्थी के योग्य वकील का कथन है कि प्रोसेडिंग में दिनांक 13.05.2016 अंकित है जबकि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक 14.05.2016 को हुई है। विपक्षी सं. 1 व 2 के योग्य वकील ने आवंटित भूमि पर पूर्व से ही उनका कब्जा काशत होना तथा वर्तमान में भी मौके पर काबिज काशत हो आवंटन शर्तों की पालना करने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज करने निवेदन किया गया। परोकार सरकार ने आवंटन नियमानुसार होना एवं रिपोर्ट तहसीलदार बिछीवाड़ा अनुसार आवंटि के मौके पर काबिज काशत होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त करने निवेदन किया गया।




2

उभय पक्षकारगणों की ओर से प्रस्तुत बहस के क्रम में पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षीगण सं. 1 व 2 के नाम जरिये मीसल संख्या 23/2016 दिनांक 14.05.2016 के द्वारा मौजा चक चुण्डावाडा के खसरा संख्या 226 में से 0.16 हेक्टेयर भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है। प्रार्थी के वकील द्वारा दिनांक बाबत् उठायी आपत्ति मात्र तकनीकी है जिसे भी निचे सही दिनांक अंकित करते हुए शुद्ध किया गया है, जिससे उनकी आपत्ति महत्वहीन है। तहसीलदार बिछीवाड़ा की रिपोर्ट एवं संलग्न पर्चा मौका, जमाबंदी एवं खसरा के अवलोकन से प्रमाणित होता है कि मौजा चक चुण्डावाडा के खसरा नम्बर 226 में से रकबा 0.16 हेक्टेयर विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम आवंटित होकर आवंटिगण के नाम नवीन आराजी संख्या 346/226 कायम होकर खाते में दर्ज रेकार्ड है। रिपोर्ट व पर्चा मौका में आवंटिगण द्वारा उक्त आराजी में फसल खरीफ में चारा, मक्की, बाजरी, बोया जाना एवं काशत करना पाया गया है। मौका अनुसार प्रार्थी श्री कचरा पिता धुला चमार का कब्जा नहीं होना एवं आवंटन से पूर्व तैयार की गई सर्वे पंजिका में आवंटी श्री अमरा पिता काला भील का कब्जा होना बताया गया है।

उपरोक्त विस्तृत विवेचना अनुसार मौजा चक चुण्डावाडा के खसरा संख्या 226 में विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को रकबा 0.16 हेक्टेयर भूमि का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार आवंटन होना, आवंटिगण के मौके पर काबिज काशत होने से तथा उक्त आवंटन में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

  
(राजेन्द्र भट्ट)  
जिला कलक्टर  
डूंगरपुर

